



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1948 (श10)

(सं० पटना 929) पटना बुधवार 5 अगस्त 2026

गृह विभाग

अधिसूचना

3 अगस्त 2026

सं० 3/वि०वि०प्रयो०-06/2017 गृ०आ०/9501—भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार पुलिस हस्तक, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ—
 - यह हस्तक बिहार पुलिस (संशोधन) हस्तक, 2026 कही जा सकेगी।
 - इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
- बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के अध्याय-42 में वर्णित विधि विज्ञान प्रयोगशाला गृह विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करेगा।
- बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के अध्याय-16 में वर्णित अंगुलांक ब्यूरो गृह विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करेगा।
- बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के परिशिष्ट-25 में वर्णित पुलिस प्रयोगशाला (Handwriting Bureau) गृह विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करेगा।
- बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के अध्याय-15, परिशिष्ट-22 में वर्णित फोटो ब्यूरो गृह विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करेगा।
- फॉरेंसिक जाँच कार्य से संबंधित सभी कार्यालयों के लिए प्रशासनिक/कार्यपालक एवं वित्तीय मामलों में गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा नीति का निर्धारण एवं नियमानुसार शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाएगा।
- फॉरेंसिक जाँच कार्य से संबंधित सभी कार्यालयों में प्रदर्शों की वैज्ञानिक जाँच संबंधित कार्यालय के निदेशक के पूर्ण नियंत्रण में किया जाएगा। फॉरेंसिक जाँच कार्य पूर्ण करने एवं सक्षम प्राधिकार के समक्ष ससमय जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए निदेशक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- फॉरेंसिक जाँच कार्य से संबंधित सभी कार्यालयों के निदेशक किसी भी प्रकार की शंका की स्थिति में इसके समाधान हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव गृह विभाग के परामर्श से नियमानुसार कार्य करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

9. दिनांक-01.07.2024 के प्रभाव से अधिसूचित नव अधिनियम कानून के आलोक में फॉरेंसिक जाँच कार्य को पारदर्शिता के साथ ससमय पूरा कराने के लिए समय-समय पर कार्यपालक आदेश के माध्यम से विभाग द्वारा आवश्यक व्यवस्था स्थापित की जाएगी।

10. एतद् विषयक बिहार पुलिस हस्तक, 1978 (समय-समय पर यथा संशोधित) में फॉरेंसिक जाँच से संबंधित कार्यालयों पर प्रशासनिक, कार्यपालक एवं वित्तीय नियंत्रण से संबंधित पूर्व से निर्धारित सभी व्यवस्थाओं को तत्काल प्रभाव से अवक्रमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कुन्दन कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 929-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>